

मालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी

पिठासीन अधिकारी :- अमिता विश्णोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 27 / 2024

Gcms No. 2024/38

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबुराम पुत्र बगताराम जाति जाट निवासी बेन्दो का बेरा तहसील लोहावट जिला फलोदी।		1. जोगसिंह पुत्र डुंगरसिंह 2. भोमसिंह पुत्र गंगासिंह 3. नत्थुकंवर पुत्री गंगासिंह 4. सुगनकंवर पत्नी गंगासिंह फौत के कायम मुकाम-अप्रार्थी संख्या 02 जाति राजपुत निवासी पडासला तहसील बापिणी जिला फलोदी। 5. तहसीलदार बापिणी भूमिधारी सरकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

वाद-प्रकरण में पैरोकार अभिभाषक उपस्थित :-

वादी की ओर से :- श्री राजुराम चौधरी।

प्रतिवादीगण संख्या (01) की ओर से :- श्री पवन कुमार जोशी।

प्रतिवादीगण संख्या (02 से 04) की ओर से कोई हाजिर नहीं।

अप्रार्थीगण संख्या (5) की ओर से :- राज-पैरोकार।

--: निर्णय :-

दिनांक 7 / 10 / 2025


वाद प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि - तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम पडासला के खसरा नम्बर 674 रकबा 1.4569 हैक्टेयर सामलाती भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की जमीन आई हुई है तथा वादी ने उक्त मूल खसरा नम्बर 674 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त में से जरीये विक्रय पत्र रजिस्ट्री से दिनांक 02.08.2011 व दिनांक 21.08.2012 को विधिवत बेचान करवाने के बाद वादी के कब्जे काश्त अनुसार हक-हिस्से की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेचान कर दी गई। तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड ऑनलाई करते वक्त प्रतिवादीगण का आंशिक नाम जमाबन्दी में रह गया और सेग्रीकेशन के दौरान हिस्सा गलत दर्ज कर दी गई। परन्तु राजस्व कर्मियों की लापरवाही से प्रतिवादीगण द्वारा पुरा हक-हिस्सा बेचान के बावजूद नाम रख दी गये। राजस्व कर्मियों द्वारा बिना कोई जांच मिलान किये नाम व हिस्सा गलत रिकार्ड में लिख दिया गया है। जिसको दुरुस्त करवा कर खातेदारी की घोषणा के लिए यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92-ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 05 की ओर से राज-पैरोकार उपस्थित हुऐ व प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता पवन कुमार जोश उपस्थित हुऐ तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 से 04 की तरफ से सम्मन तामिली के

अधिवक्ता फलोदी बापिणी

बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुए। वाद में सभी प्रतिवादीगणों को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद पक्ष रखने नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्यां 02 से 04 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा कर तहसीलदार बापिणी से मौका व रिकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी।

चुकिं प्रार्थी वादी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत Oder 6[17], 6[16] B & Sec.153 Cpc के तहत दरखास्त पेश कर निवेदन किया कि विचाराधीन वाद वादी ने प्रतिवादीगण संख्यां 01 से 04 तक का नाम हटा कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भु-राजस्व अधिनियम का पेश किया हुआ है तथा वादग्रस्त भूमि में उक्त खसरें में राजस्व कर्मियों की भुल से प्रतिवादीगण संख्यां 01 से 04 तक के द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर देने के बाद भी खाते में नाम रह गये हैं। जिनको हटा कर रिकार्ड सही के लिए धारा 136 एलआर एक्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था। परन्तु 136 एलआर एक्ट में नाम हटा कर निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं होने के कारण प्रकरण को धारा 136 के स्थान पर 88, 91, 92-ए में परिवर्तन करवाना चाहता हुं। यानि प्रार्थना पत्र को वाद पत्र में पढा जाने का एक आंशिक संशोधन मात्र हैं। इससे प्रकरण की प्रकृति एवं विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और Oder 6 [16] B Cpc में अभिवचन का काट दिया जाना या हटाया जाकर संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार तथा अस्वीकार करना न्यायालय का विवेकाधिकार हैं। परन्तु तकनीकी आधार पर इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। और Oder 6[17] Cpc में अभिवचनों का संशोधन - न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्याया संगत हों, परिवर्तित करने या ऐसे सभी संशोधन किये जा सकेंगे। एवं Sec. 153 Cpc में संशोधन करने की साधारण शक्ति - न्यायालय किसी भी समय और खर्च सम्बन्धी ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जो ठीक समझे, वाद की किसी भी कार्यवाही में की किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधक कर सकेगा, और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाये गये या उस पर अविलम्ब वास्तविक प्रश्न या विविधक के अवधारण के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किये जावेगें। इसलिए प्रार्थना पत्र को दावें में संस्थापित करना हैं। अतेव दावें में सामिल प्रतिवादीगण संख्यां 01 ता 04 का नाम जमाबन्दी से डिलिट करना आवश्यक हैं। तथा प्रार्थी वादी के प्रार्थना पत्र को दावें में परिवर्तन करने की अर्जी मन्जुर करने योग्य पायी गई हैं।

तहसीलदार बापिणी की ओर से मौका जांच रिपोर्ट पेश हुई जिसे राज-पैरोकार के जबाब के रूप में पेश हुई। तथा अधिवक्ता वादी की एक पक्षिय बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने दावें के पैराज को दौहराते हुये बताया कि वादी के नाम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 1.4569 में से रकबा 0.9156 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादीगण का नाम कोई बेचान करने बाद कोई हिस्सा नहीं रहा हैं। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भुलवंश बिना कोई रिकार्ड देखें अपने मनमाने तरीके से नामान्तकरण दर्ज करते गये। वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि के रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया गया हैं। अतेव वादी की ईस्तदुआ और तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एक समान हैं। इसलिए वादी के खसरा नम्बर 674 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में से बेचान करने के बाद वास्तविक भूमि पर प्रतिवादीगण संख्यां 01 से 04 के नाम रिकार्ड से हटाकर वादी के हिस्से में बेचाननामा अनुसार रकबा बढ़ाया जाकर वादी को 0.9156 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर, रिकॉर्ड


तहसीलदार बापिणी

हिस्सा दुरुस्ती बाबत पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

वादी के वाद में मौका जांच रिपोर्ट प्रेषित क्रमांक/भु.अ./न्याया./2024/900 दिनांक 18.06.2024 की तथ्यात्मक रिपोर्ट में परिशिष्ट - ए में वर्तमान चालू रिकार्ड में वादी के खसरा नम्बर 674 रकबा 1.4569 हैक्टेयर एवं प्रतिवादीगण संख्यां 01 से 04 का खसरा नम्बर 674 की जमाबन्दी संवत् 2063-66 खाता संख्यां 486 में सह-खातेदार के रूप में अनोपसिंह पुत्र कुम्भसिंह 1/16 वा हिस्सा दर्ज था जिसका सम्पूर्ण बेचान करने पर क्रेता बाबुराम, जसाराम पिता बगताराम नामान्तकरण संख्यां 1697 दिनांक 05.09.2011 को स्वीकृत हुआ तथा जमाबन्दी संवत् 2067-70 में सह-खातेदार जोगसिंह, भोमसिंह पिता गंगासिंह, नत्थु कंवर बेवा गंगासिंह, सुगन कंवर पत्नी डुंगरसिंह का 1/32 वां हिस्सा सम्पूर्ण कारकुट बेचान वादी बाबुराम पुत्र बगताराम के पक्ष में करने पर नामान्तकरण संख्यां 1966 दिनांक 20.01.2014 को स्वीकृत हुआ। और जमाबन्दी संवत् 2071-74 खाता 599 में सह-खातेदार जोगसिंह, भोमसिंह पिता गंगासिंह, नत्थु कंवर बेवा गंगासिंह, सुगन कंवर पत्नी डुंगरसिंह दर्ज हैं जबकी इन्होंने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर देने पर मियुटेशन नम्बर 1966 दिनांक 20.01.2014 के बाद प्रतिवादीगण के नाम हट जाने चाहिये। परन्तु सेग्रीगेशन के दौरान जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्यां 694 में खसरा नम्बर 674 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में जोगसिंह 5/384, भोमसिंह 1/128 पिता गंगासिंह, नत्थु कंवर बेवा गंगासिंह 1/128, सुगन कंवर पत्नी डुंगरसिंह 1/384, आन्नदसिंह पुत्र मदनसिंह 112/1728, बाबुराम पुत्र बगताराम 35/864 हिस्सा दर्ज हैं जो कि गलत प्रविष्टि हैं। सही प्रविष्टि में बाबुराम पुत्र बगताराम 1/16, आनन्दसिंह पुत्र मदनसिंह 12/64 वां हिस्सा होना था। और जोगसिंह, भोमसिंह पिता गंगासिंह, नत्थु कंवर बेवा गंगासिंह, सुगन कंवर पत्नी डुंगरसिंह के नाम चालु जमाबन्दी से हटाया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जाना उचित बताया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहन अध्ययन, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात न्यायालय मत है कि वादी के वाद का मुख्य अनुतोष राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में गलत से दर्ज हिस्सा-कस्सी में सुधार करने की घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती का है। चुकीं वादी की ईस्तदुआ की तरदीक प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट से हो रही हैं। तथा मौका जांच रिपोर्ट पर कोई किसी प्रकार का कोई ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है। बल्की प्रतिवादी अधिवक्ता ने वाद स्वीकार कर सहमति जाहिर की है। उक्त आधारों पर न्यायालय का यह अभिमत है कि वादी का दावा अर्न्तगत धारा 88, 91, 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के स्वीकार किये जानें योग्य हैं।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार कर माफिक मौका जांच रिपोर्ट अनुसार अंतिम रिकार्ड इस कदर जारी कर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पडासला के खसरा नम्बर 674 रकबा 1.4569 हैक्टेसर में वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज जोगसिंह, भोमसिंह पिता गंगासिंह, नत्थु कंवर बेवा गंगासिंह, सुगन कंवर पत्नी डुंगरसिंह प्रतिवादीगण के नाम हटाने व वादी का 1/16 वें हिस्से का खातेदार तथा सह-खातेदार आनन्दसिंह पुत्र मदनसिंह का 1/64 वें हिस्से के खातेदार घोषित कर रिकार्ड दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता है। शेष सह-खातेदार वर्तमान

जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा-कस्सी की भूमि यथावत रखी जाती है। मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक/भु.अ./न्याया./2024/900 दिनांक 18.06.2024 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बापिणी तदनुसार अमल दरामद करें। अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो कर सम्बधित को पालनार्थ तेहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 7 /10/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमित विश्वा (RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बापिणी

